फर्द अहकाम

मैं० संस्कार लैण्ड डवलपर्स बनाम सरकार

नाम न्यायालय SDO जयपुर

केस संख्या प्रा.पत्र 140/16

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	19/01/18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। प्रा.पत्र पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

वाद सं:– 140 / 2016

मैसर्स संस्कार लैण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय संस्कार स्कूल विश्वमित्र मार्ग, हनुमान नगर जरिये निदेशक रिया के0 थारियामल धर्मपत्नि श्री कन्हैयालाल थारियामल जाति सिंधी निवासी प्लांट नंबर 4 बी मुख्यमंत्री निास के सामने सिविल लाईन्स, जयपुर।

प्रार्थी.....

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. गीता देवी धर्मपत्नि श्री भवानी सिंह जाति मीणा निवासी ग्राम बामणवास, तहसील बामणवास जिला सवाईमाधोपुर।
3. भवानी सिंह पुत्र स्वर्गीय नारायण जाति मीण निवासी ग्राम बामणवास तहसील बामणवास , जिला सवाईमाधोपुर।
4. अनिल स्पेशियल स्टील इन्द्रस्ट्रीज लि0 कनकपुरा पोस्ट मीनावाला जयपुर जरिये सुधीर खेतान।

प्रतिवादीगण.....

धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी करवाने

निर्णय: दिनांक:–19.01.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार है–

यह कि वाके ग्राम मीनावाला तहसील जयपुर जिला जयपुर में स्थित खसरा न0 37 / 1 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा न0 42 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 23 बीघा 03 बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी राजस्व रेकार्ड वर्तमान जमाबंदी अनुसार दर्ज है।

प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के पडौसी काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने माननीय न्यायालय से दिंनाक 14.06.2016 को अपनी स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा न0 30,41 कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा एक तरफा में पत्थरगढी के आदेश प्राप्त कर लिये है। उक्त आदेश की तहसील के कर्मचारियों द्वारा मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही की जा चुकी है।

कानूनन प्रार्थी को भी अपनी खातेदारी की भूमि की सीमाओं की जानकारी होने व मौके पर पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसमें प्रार्थी को अपने पडौसी खातेदारान से सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद ना हो।

प्रार्थी को खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्व में तहसीलदार महोदय, जयपुर के आदेश से दिंनाक 22.03.2003 की पटवारी हल्का द्वारा की जा चुकी है। इसलिए मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम मीनावास तहसील जयपुर जिला में स्थित खसरा न0 37 / 1 रकबा 10 बीघा, खसरा न0 42 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा की पत्थरगढी किये जाने बाबत

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

तहसीलदार तहसील जयपुर को आदेश प्रदान करने की कृपा करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार तहसील जयपुर को जारी किये जानेकी कृपा करें।

अप्रार्थी 03 द्वारा दिये गये जवाब के संक्षिप्तीकरण अनुसार :-

विधिक आपत्ति की मद संख्या 1 में वर्णित कथन प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है प्रार्थना पत्र के उक्त मद में वर्णित शेष कथन जिस प्रकार से तहरीर एंव तकमील किये गये है गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.3.2003 को सीमाज्ञान की कार्यवाही के आधार पर प्रस्तुत पत्थरगढी प्रार्थना पत्र नियमानुसार है। प्रार्थी का उक्त मद में वर्णित विधिक आपत्ति गलत है कि गीता देवी बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 14.06.2016 की पालना में पत्थरगढी कार्यवाही सम्पन्न होने जाने से प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी स्वंत ही हो जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्रकरण 37/2016 गीता देवी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 14.06.2016 में प्रार्थी की सम्यक तामील नही हुई। उक्त प्रकरण में दिनांक 13.04..2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रजिस्टर्ड नोटिस से प्रार्थी मै0 संस्कार लैण्ड डवलपर्स को सम्मन जारी होने का उल्लेख है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.05.2016 नियत की गई। दिंनाक 04.05.2016 को गीता देवी बनाम सरकार पत्रावली में आदेशिका नही है प्रकरण सीधे ही राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय जयपुर में नियत किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार गीता देवी बनाम सरकार में पत्थरगढी की कार्यवाही प्रार्थी मैसर्स संस्कार डपलपर्स को प्रकरण के सम्मन जारी नही हुए और ना ही प्रकरण की जानकारी हुई तथा ना ही निर्णय के आधार पर पत्थरगढी की कार्यवाही की जानकारी कभी रही। संपूर्ण कार्यवाही बालाबाला एकतरफा में की गई जिससें प्रार्थी कतैई पांबन्द नही है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि के बाबत पत्थरगढी का आवेदन अन्तर्गत 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है।

विधिक आपत्ति की मद संख्या 2 में वर्णित यह कथन कि प्रार्थनापत्र में अंकित भूमि बेरी आयोग से प्रभावित है, गलत होने के कारण अस्वीकार है।

विधिक आपत्ति की मद संख्या 3 में वर्णित कथन रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 4/2011 निर्णय दिनांक 05.10.2001द्वारा राजस्वमण्डल राजस्थान अजमेंर में प्रार्थी मैसर्स संस्कार लैण्ड प्रा0 लि0 पक्षकार मुकदमा नही है उक्त विधिक आपत्ति में वर्णित यहकथन अस्वीकार है कि पत्थरगढी में वर्णित भूमि बाबत रेफरेन्स प्रार्थना पत्रविचाराधीन होने से पत्थरगढी के आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है पत्थरगढी का मूल उद्देश्य प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के बाबत कायमी सीमा चिह्न पर पत्थर गाढकर

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

वर्णित भूमि के बाबत कायमी सीमा चिह्न पर पत्थर गाढकर निशान कायम करना है उक्त पत्थरगढी प्रार्थना पत्र से कानून हक अधिकार स्वामित्व का निर्धारण नही होता है इसलिए रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने मात्र से पत्थरगढी कार्यवाही पर कानून रोक नही है।

प्रार्थी मैसर्स संस्कार लैण्ड डवलपर्स ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा न0 37/1, खसरा न0 42 की सीमाज्ञान कार्यवाही दिंनाक 22.03.2003 को तहसीलदार से आदेश से करवाकर मौके पर सीमाज्ञान अनुसार बाउण्ड्रीवाल करवाकर अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग करते आ रहे है। अप्रार्थी स0 2 व 3 जो कि पडौस में स्थित भूमि खसरा न0 38,41 के खातेदारर काश्तकार है जिनके द्वारा बालाबाला एकतरफा में प्रार्थी की जानकारी के बिना सूचना दिये पत्थरगढी के आदेश दिनांक 14.06.2016 करवाकर पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक 28.07.2016 को करवा ली। उक्त पत्थरगढी की आड में अप्रार्थीयगण मौके पर कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि में दखलअंदाजी आये दिन करते है। इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवानी पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी किये जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण येनकेन प्रकारेण प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी को रोकने बाबत उक्त विधिक आपत्ति पेश की है, जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

कानून क्षेत्राधिकार से संबधित विधिक आपत्ति का ही निर्णय गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में पूव किया जाना आवश्यक है प्रस्तुत आपत्ति क्षेत्राधिकार से संबंधित नही होने के कारण आपत्ति का निर्णय गुणातगुण पर किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा आपत्ति विधिक न होकर तथ्यात्मक है, इस प्रकार विधिक आपत्ति खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा उभय–पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की सुनी गयी बहस पर मनन व पत्रावली में उपलब्ध जवाब तथा प्रार्थना–पत्र के बारिकी से अवलोकन से तथा तहसीलदार–जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अवलोकन से ग्राम मीनावाला का आवंटन 37/1,42/1 किता 2 रकबा 23–03 में संस्कार लैण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक हरीश सी0 नरूला के नाम दर्ज बताये गई है। वादी के पडौस में स्थित खं0न0 38 व 41 का सीमाज्ञान भू–प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा ई0डी0एम0 से दिनांक 14 व 15.10.15 को सीमाज्ञान किया गया था जिसके आधार पर टीम द्वारा दिनांक 28.07.2016 को पत्थर गढी की गई थी। खं0न0 38 व 41 की पत्थरगढी स्वतः ही होना बताया है। तहसीलदार रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सीमाज्ञान किये जाने व पत्थरगढी दिनांक 28.07.2016 को हो जाने से वादी की सीमा निर्धारित हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी अकिंत किया गया है कि वादी प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2003 को किये

उप खण्ड अधिकारी

गये सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराने का आवेदन किया है। जबकि मौके पर सन् 2003 के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हो चुका है। तथा वादी के पडोस के खसरा न0 38 व 41 की पैमाईश भू–प्रबन्धक विभाग से ई0डी0एम0 मशीन से सन् 2015 में किया गया। जिसके अनुसार पत्थरगढी की गई है। तथा वादी की आराजी बैरी आयोग से भी प्रभावित बताई गई है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश अनुसार दिंनाक 25.02.2014 को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एंव मौके की स्थिति को यथावत् रखते हुए रहनबय मुन्तकिल नहीं करने हेतु पाबन्द किया हुआ है। ऐसे में मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व माननीय राजस्वमण्डल के आदेश को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फशलशुमार नम्बर से कम हो ।

आज दिनांक 19.01.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम, जयपुर